# न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी** :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

**मुकदमा नम्बर** :– 37/2021 (जीसीएमएस न0 2021/41)

**उनवानी प्रकरण** :–

ग्यान देवी पत्नी पोखनसिंह जाति कुशवाह निवासी शाला का पुरा मजरा बरैठा उप तहसील मंनिया तहसील व जिला धौलपुर ———————प्रार्थी

**बनाम**

1–निर्मला देवी पत्नी परमजीतसिंह जाति कुशवाह निवासी शाला का पुरा मजरा बरैठा उप तहसील मंनिया तहसील व जिला धौलपुर

2–राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर ——————अप्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं धारा 10 सी.पी.सी.**

**( अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.03.2015 न्यायालय )**
**तहसीलदार धौलपुर**

**उपस्थिति** :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट

**निर्णय** **दिनांक 22.10.2024**

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या–1 निर्मला की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं धारा 10 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवानी अपील में नामान्तकरण संख्या 445 ग्राम शाला का पुरा दिनांक 16.6.2015 विवादित है इसकी आराजी खसरा नम्बर 801 रकवा 1 बीघा 5 बिस्वा विवादित है जिसमें अपीलान्ट ने गलत बटवारा किया जाना अंकित किया है इसी खसरा नम्बर के बिभाजन के बावत उपखण्डाधिकारी धौलपुर में निर्मलादेबी बनाम ज्ञान देई नियमित वाद लम्बित है अपीलान्ट प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार है उन्होने अपने अधिकारों के लिये उपखण्डाधिकारी धौलपुर में काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर रखा है। नामान्तकरण की कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है नियमित वाद के अन्दर ही पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होता है वैसे भी जो तथ्य अपीलान्ट ने अपनी अपील के अन्दर लिये हैं उन तथ्यों को अपील में तय नहीं किया जा सकता है जो तथ्य अपीलान्ट ने अपनी अपील के अन्दर लिये है वो तथ्य नियमित वाद में ही तय किये जा सकते है अपील में तय नहीं किये जा सकते है। एक ही विषयवाद एवं समान पक्षकारों के मध्य जहां नियमित वाद एवं नामान्तकरण की अपील विचाराधीन हो तो पक्षकारों

के मध्य वाद वाहुल्यता को रोकने की आवश्यकता रहती है ऐसी स्थिति में नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही न्यायसंगत नही मानी जाती है क्योंकि नियमित वाद के निर्णय के अनुसार ही नामान्तकरण के अन्दर आवश्यक तब्दीली होती है अर्थात नामान्तकरण की कार्यवाही पर नियमित वाद का निर्णय प्रभावी होता है क्योंकि तथ्यों के सम्बध में निर्णय नियमित वाद में ही लिया जा सकता है। अतः प्रार्थिया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियमित वाद उनवानी निर्मलादेवी बनाम ज्ञानदेवी एवं काउन्टर क्लेम अपीलान्ट ज्ञानदेवी विचाराधीन रहते हुये उपरोक्त उनवानी अपील की कार्यवाही स्थगित किये जाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया है कि आदेश दिनांक 16.03.2015 सहमति बटवारा न्यायालय तहसीलदार धौलपुर के बटवारा की अपील है। बटवारा की अपील वाद की श्रेणी में नही आती है। अतः पश्चातवर्ती वाद नहीं है इसलिये धारा 10 सीपीसी के अन्तर्गत स्थगित नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं धारा 10 सीपीसी उभयपक्ष के अभिभाषक की बसह सुनी गई। प्रार्थीया निर्माना देवी के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में नामान्तकरण संख्या 445 ग्राम शाला का पुरा दिनांक 16.6.2015 विवादित है इसकी आराजी खसरा नम्बर 801 रकवा 1 बीघा 5 बिस्वा विवादित है जिसमें अपीलान्ट ने गलत बटवारा किया जाना अंकित किया है इसी खसरा नम्बर के बिभाजन के बावत उपखण्डाधिकारी धौलपुर में निर्मलादेबी बनाम ज्ञान देई नियमित वाद लम्बित है अपीलान्ट प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार है उन्होने अपने अधिकारों के लिये उपखण्डाधिकारी धौलपुर में काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर रखा है। जो तथ्य अपीलान्ट ने अपनी अपील के अन्दर लिये हैं उन तथ्यों को अपील में तय नहीं किया जा सकता है जो तथ्य अपीलान्ट ने अपनी अपील के अन्दर लिये है वो तथ्य नियमित वाद में ही तय किये जा सकते है अपील में तय नहीं किये जा सकते है। एक ही विषयवाद एवं समान पक्षकारों के मध्य जहां नियमित वाद एवं नामान्तकरण की अपील विचाराधीन हो तो पक्षकारों के मध्य वाद वाहुल्यता को रोकने की आवश्यकता रहती है ऐसी स्थिति में नियमित वाद के बिचाराधीन रहते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही न्यायसंगत नही मानी जाती है। नामान्तकरण की कार्यवाही पर नियमित वाद का निर्णय प्रभावी होता है क्योंकि तथ्यों के सम्बध में निर्णय नियमित वाद में ही लिया जा सकता है। अतः उपरोक्त अपील प्रकरण की कार्यवाही वाद के निस्तारण तक स्थगित रखी जावे। प्रार्थीया निर्मला देवी के अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2017(2)RRT Page 1348, RRT 2011- 12 Page 381 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि सर्वप्रथम यह अपील नामान्तकरण कार्यवाही के खिलाफ नहीं है। यह अपील तहसीलदार धौलपुर के आदेश दिनांक 16.06.2015 के खिलाफ है। न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर में निर्मलादेवी बनाम ग्यानदेवी वगैरा दावा में काउन्टर क्लेम अपीलान्ट ने पेश किया है। धारा 10 सी.पी.सी क्या कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु धारा 10 के प्रावधानों में अपील की कार्यवाही सम्मिलित हो सकती है, निर्धारित नही। धारा 10 सी.पी.सी केवल दावा पर लागू होती है। अपील पर लागू नहीं होती है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2010 RBJ PAGE 405, AIR 1974 Delhi Page 95,RLW 1988(1) Page 500,RBJ 2009 Page 228, न्यायिक दृष्टांत पेश प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 29.08.2016 को तहसीलदार धौलपुर के आदेश दिनांक 16.06.2015 को हुये बटवारे के विरूद्व पेश की है। इस अपील के प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर में एक नियमित वाद उनवानी निर्मलादेवी बनाम ग्यानदेवी जो दिनांक 26.07.2016 को प्रस्तुत हुआ है। उक्त वाद में अपीलान्ट ग्यानदेवी द्वारा अपने स्वतत्व घोषणा हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। उक्त दोनो ही प्रकरण में विवादित आराजी एवं पक्षकारान समान है एवं वाद कारण भी समान है। यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष संक्षप्ति कार्यवाही के द्वारा किये गये बटवारे के विरूद्व है जिसमें जिस हिस्से को अपीलान्ट यह कह कर के आया है कि वह हिस्सा बटवारे में देना चाहिऐ था वह धोखे से रैस्पो0 को दे दिया जो गलत है। इसी हिस्से के नियमित वाद में अपीलान्ट ने काउन्टरक्लेम पेश कर स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की प्रार्थना की है। इस प्रकार दोनों ही न्यायालय में अगर प्रकरण विचाराधीन रहते है तो विरोधाभाषी निर्णय से इन्कार नहीं किया जा सकता इसलिये दोनो ही प्रकरण एक साथ चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। प्रार्थीया निर्मला देवी के अभिभाषक द्वारा **"न्यायिक निर्णय आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1348 में भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अगर दोनो प्रकरणों में विवादित आराजी एक ही है और एक ही भूमि के संबध में अनुतोष मांगा है तो जब नियमित वाद लम्बित है तो संक्षिप्त कार्यवाही स्थगित करनी चाहिऐ "** प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बध में दो विभिन्न न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये जाने की संभावना से हम प्रार्थीया निर्मलादेवी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर से पूर्णतया संतुष्ट है। उपरोक्त विववेचन के आधार पर प्रार्थीया निर्मलादेवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं धारा 10 सीपीसी सी. पी.सी स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं धारा 10 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में लम्बित नियमित वाद उनवानी निर्मलादेवी बनाम ग्यानदेवी के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। नियमित वाद के निस्तारण पर अपीलान्ट ग्यानदेवी पुनः उपरोक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

( श्रीनिधि बी टी )
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)